मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ–226005

परिपत्र संख्या– /बजट/2019

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2019

विषयः– अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, राशिकरण तथा अन्य समस्त सेवानैवृत्तिक लाभों की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारागार विभाग के सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को अर्ह पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों को निर्धारित समयान्तर्गत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार एवं वित्त नियंत्रक कारागार मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्देश निर्गत किये गये है।

उपर्युक्त सम्बन्ध में कारागार मुख्यालय स्तर पर कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई, जिसकी जॉच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि कतिपय सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान में काफी विलम्ब किया गया। उक्त स्थिति पर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक महोदय द्वारा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिया गया कि पेंशन/अन्य देयकों के भुगतान में विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों को भविष्य में तत्सम्बन्ध में समयबद्ध व सतर्कता पूर्वक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया जाये। अधीनस्थ कारागार निर्धारित समयसीमा में सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान सुनिश्चित करें तथा परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक उक्त कार्यवाही की सत्त् निगरानी भी करें।

उक्त सम्बन्ध में आप अवगत ही हैं कि शासन की अधिसूचना सं0–सा–3–1644/दस–904–94, दिनांक 02–11–1995 में स्पष्ट रूप से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को निर्धारित समयान्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये है। शासनादेश संख्या–सा–3–1272/दस–2009, दिनांक 30–09–2009 में भी यह निर्दिष्ट है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के पेंशन आदि सम्बन्धी कार्यवाहियों को सेवानिवृत्ति से 02 वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर दिया जाये, ताकि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के समय उसके सभी सेवा अभिलेख आदि पूर्ण रहें तथा सेवानैवृत्तिक लाभ समय से भुगतान करने में इस आधार पर अनावश्यक विलम्ब न हो। यदि सेवानैवृत्तिक प्रपत्रों को तैयार करने में किसी स्तर से विलम्ब या प्रशासकीय शिथिलता/त्रुटि होती है तो उन मामलों मे विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से प्रदान किये जाने एवं अन्य सम्बन्धित कार्यवाहियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–सा–3–1644/दस–904–94, दिनांक 02–11–1995 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों

–2–

का (प्रस्तुतिकरण, निस्तारण एवं विलम्ब परिवर्जन नियमावली—1995) में व्यवस्था निर्धारित की गयी है, जिसे महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या—38/बजट, दिनांक 11—08—2008 एवं अधोहस्ताक्षरी के परिपत्र संख्या—13/बजट/2018, दिनांक 23—07—2018 द्वारा भी आपको पूर्व में ही प्रेषित किया गया है(सुलभ सन्दर्भ हेतु परिपत्रों की छायाप्रति संलग्न है)। इस व्यवस्था का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने पर कार्मिकों को समयान्तर्गत पेंशन तथा अन्य सेवानैवृतिक लाभों का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। अतः शासनादेश दिनांक 02—11—1995, दिनांक 30—09—2009 एवं अन्य सम्बन्धित अद्यावधिक शासनादेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

अग्रेतर यह भी अवगत कराना है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन आदि देयकों का समयान्तर्गत भुगतान शासन द्वारा संवेदनशीलता एवं समयबद्धता से किये जाने की प्राथमिकता है। अतएव पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक महोदय की अपेक्षानुसार विभाग के सेवानैवृत्तिक देयकों के समयान्तर्गत भुगतान के सम्बन्ध में निर्धारित समय सारिणी का पालन करते हुए तत्परता से पेंशनरी देयों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। अग्रेतर यह भी अपेक्षा है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सन्दर्भगत सयमयारिणी के अनुसार समयान्तर्गत सभी लाभ प्रदत्त किये गये हैं, का प्रभावी अनुश्रवण भी करें।

सेवानिवृत्त कार्मिकों को पेंशनरी लाभ समयान्तर्गत प्राप्त हो रहे है एवं इस कार्यवाही में कोई कठिनाई तो नहीं उत्पन्न हो रही है, का सत्त अनुश्रवण परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार द्वारा किये जाने के निर्देश भी पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक महोदय द्वारा दिये गये हैं। तद्नुसार परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार भी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

भवदीय

(अशोक कुमार)
वित्त नियंत्रक

परिपत्र पृ0सं0— 25 /बजट/2019, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— अपर महानिरीक्षक(प्र0/वि0) सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2— अपर महानिरीक्षक कारागार, मुख्यालय।
3— उप महानिरीक्षक कारागार, मुख्यालय।
4— पुलिस उप महानिरीक्षक(मु0) को उनके पत्रांक—152/लो0शि0—(7)/कान0 परि0 /22/2019, दिनांक 05—08—2019 के क्रम में।
5— वैयक्तिक सहायक, पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश को महोदय के अवलोकनार्थ।
6— समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, उत्तर प्रदेश।
7— समस्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।

(अशोक कुमार)
वित्त नियंत्रक